

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक-

1390 / पन्द्रह

दिनांक-09-09-2020

विषय-

Mechanism/Modalities for functioning of District Court & Outlying Courts, Shahjahanpur, not falling under Containment Zone during COVID-19 pandemic.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-1117/LXXXVII-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 03 जून, 2020 तथा पत्र संख्या-1293/LXXXVII-सी0पी0सी0/ई-कोर्ट्स/इलाहाबाद/दिनांकित 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 09-09-2020 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक- 09-09-2020
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
09/09/2020
जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय: कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिए निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 तथा पत्र संख्या- 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 16.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-121/2020 दिनांकित 04.06.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-138/ 2020 दिनांकित 17.07.2020 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज दिनांक 09.09.2020 को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय पत्रांक- 433/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 09.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद एवं पुवायां कन्टेनमेंट जोन से बाहर है।
- कोरोना संक्रमण के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय के निर्देशानुसार दिनांक- 08.09.2020 से एक विशेष अभियान चलाकर जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के सभी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण के कोरोना संक्रमण की जाँच का कार्य आरम्भ किया गया। जिसमें पहले दिन दिनांक- 08.09.2020 को जनपद न्यायालय के 32 न्यायिक अधिकारीगण तथा 170 कर्मचारीगण सहित कुल 202 लोगों का एंटीजेंन टेस्ट (रैपिड टेस्टिंग किट) के माध्यम से कोरोना परीक्षण कराया गया। परीक्षणोंपरांत नजारत अनुभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री प्रेम पाल तथा अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-10 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शिवम सहित कुल 02 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये। उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह, न्यायालय सुरक्षा, शाहजहाँपुर ने अपने पत्र दिनांकित 08.09.2020 द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात महिला आरक्षी-1643 सुश्री निशु कोरोना संक्रमित पायी गयीं हैं। जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-432/कोविड-19/2020-2021, दिनांकित 08.09.2020 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-मु.चि.अ./कोविड-19/2020-21/3323, दिनांकित 08.09.2020 द्वारा करते हुए यह अवगत कराया कि श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, (गोपन अनुभाग-3), लखनऊ, दिनांकित- 06.05.2020 तथा श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के पत्र संख्या- 902/पांच-5-2020, दिनांकित- 31.05.2020 के निर्देशानुसार सम्बंधित कार्यस्थल को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर दो बार विसंक्रमित किये जाने की आवश्यकता है। तदैव माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 03.06.2020 के अनुपालन तथा उपरोक्त आख्याओं के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-179/2020, दिनांक- 08.09.2020 द्वारा आज दिनांक 09.09.2020 को सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को 24 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके मानक के अनुरूप सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को दिन में दो बार सेनेटाइज कराकर विसंक्रमित कराया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु आदेश कि प्रति संलग्न है) तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर के बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां ही कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
- आज दिनांक 09.09.2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-179/2020, दिनांक- 08.09.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर (मुख्यालय) विसंक्रमित कराकर पूर्णतया बंद रखा गया। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020, दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 में उल्लिखित न्यायालयों एवं उक्त आदेशों में वर्णित प्रकृति के वादों की सुनवाई सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने आवासीय कार्यालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित की गयी। आदेश में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त मुख्यालय के अन्य सभी न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-179/2020, दिनांक- 08.09.2020 के अनुपालन में बंद रहे। बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं। बाह्य न्यायालय, जलालाबाद रिक्त है तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर व पुवायां में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायालयों में कुल 02 न्यायिक अधिकारी उपस्थित आये हैं। बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां में कुल 19 कर्मचारी उपस्थित आये हैं।
5. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. districtcourtspn@gmail.com है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 09.09.2020 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. विचाराधीन बन्दियों का रिमाण्ड कार्य आदि केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जा रहा है और किसी भी बन्दी को सुनवाई हेतु न्यायालय नहीं बुलाया जा रहा है।
7. माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या-147/2020, दिनांक-29.07.2020 तथा प्रशासनिक आदेश संख्या-162/2020, दिनांक-13.08.2020 में उल्लिखित न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन आख्या माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक: 09.09.2020

संलग्नक: यथोक्त

(सौरभ द्विवेदी)

सदस्य,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह)

सदस्य,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(किरण पाल सिंह)

अध्यक्ष,

कोरोना समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)

सदस्य,

कोरोना समिति/

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(कुलदीप कुमार)

सदस्य,

कोरोना समिति/

न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Seen.

09/09/2020

28/09/2020
09.09.2020

09.09.20

09.09.2020

09/09/2020

Office of District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

Administrative Order No. 179 /2020

It has been intimated by the Corona Committee, District Court, Shahjahanpur vide report dated 08.09.2020 at 07.30 PM, that **Sri Prem Pal, Shri Shivam (Class-IV employee) and Lady Police Constable 1643 Nishu**, were found COVID-19 positive. Today employee Sri Prem Pal and Sri Shivam were present in Nazarat and A.D.J. Court No.10 respectively. As soon as the information received, looking the gravity of the information, a report was called from the CMO, Shahjahanpur and the District Magistrate, Shahjahanpur for confirmation. The Office of the District Magistrate Shahjahanpur vide letter no. 432/COVID-19/2020-2021 dated 08.09.2020, CMO's letter no. CMO/COVID-19/2020-21/3323 dated 08.09.2020 have confirmed that employee named Sri Prem Pal, Shri Shivam (Class-IV employee) and Lady Police Constable 1643 Nishu have been found CORONA (COVID-19) Positive.

The Chief Medical Officer, Shahjahanpur and Corona Committee District Court, Shahjahanpur have also opined that as per directions of U.P. Govt., detailed in letter no. 902/five-5-2020 Dated 31.05.2020 of Sri Amit Mohan Prasad, Principal Secretary of U.P. Govt., Chikitsa Anubhag-05 and G.O.No.1431/2020/CX-3 dated 06.06.2020 of Sri Rajendra Tiwari, Chief Secretary of U.P. Govt., the court should be closed for 24 hours and the entire court campus should be sanitized and disinfected twice.

In compliance of the guidelines issued by the Hon'ble High Court vide letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June 2020 and considering the reports of the District Magistrate as well as the CMO, Shahjahanpur, I am also of the opinion that to prevent the spread of COVID-19, among employees, advocates, litigents and other stake-holders, the comprehensive sanitisation, disinfection and cleaning of the court campus as per medical protocol would be on 09.09.2020 and closure of the Court for 24 hours i.e on 09.09.2020 is necessary as per guidelines of Govt. Of U.P.

Hence, the District Court, Shahjahanpur will be closed on 09.09.2020. The Court will re-opened on 10.09.2020 as usual, after complete sanitisation and cleaning as per medical guidelines and protocol.

All the Officers and official concerned are directed to take up defined urgent matters on 09.09.2020, in accordance with the mechanism/modalities preferred in administrative order no. 147/2020 dated 29.07.2020 & 162/2020 dated 13.08.2020 in compliance of the Hon'ble High Court's letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 28.07.2020.

Superintendent of Police, Shahjahanpur to ensure timely submission of prosecution records, case diaries etc. to all court concerned through e-mail, in compliance of the letter no. 1306/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad dated 19.08.2020 as discussed in meeting dated 20.08.2020.



(2)

The Chairman, Corona Committee of this judgship, is directed to ensure complete sanitisation, disinfection and cleaning of entire court campus, as per medical guidelines and protocol, with the help of District Administration, CMO and Nagar Nigam etc. Copy of this order be circulated among all the Judicial Officers of this Judgship and the Nodal Officer, Computer to upload this order on the District Court website.


Civil Judge (J.D.) Shahjahanpur shall hear and dispose off urgent Civil and Criminal matters relating to outlying court of Civil Judge (J.D.) Jalalabad, on 09.09.2020, through video conferencing as directed earlier.

A copy of this order be send to the Hon'ble High Court for information.

Secretary, D.L.S.A. Shahjahanpur is directed to widely publicize this order amongst all stake holders through print media etc.

Inform all concerned accordingly.

Date: 08.09.2020




(Ram Babu Sharma)

District Judge & Sessions Judge,
Shahjahanpur.

Copy to followings for information and necessary action.

1. The Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur.
2. The District Magistrate, Shahjahanpur.
3. The Superintendent of Police, Shahjahanpur.
4. The Cheif Medical Officer, Shahjahanpur.
5. The Nagar Ayukt, Nagar Nigam, Shahjahanpur.
6. The President, Central Bar Association, Shahjahanpur.
7. The Superintendent, District Jail, Shahjanpur.
8. The District Information Officer for publication in news papers.
9. The D.G.C.Criminal and J.D.Prosecution Shahjahanpur.

Date: 08.09.2020



(Ram Babu Sharma)

District Judge & Sessions Judge,
Shahjahanpur.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 433 /कोविड-19/2020-2021

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

विषय : कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायँ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तदनुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, Dated- 28.07.2020 today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

SR. No	NAME OF COURT	TAKEN UP		DECIDED		HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND		NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
		NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS	NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS			IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	
1	District & Sessions Judge	-	06	-	01	01	-	-	-	-
2	A.D.S. J. Court No. 2	-	04	-	-	-	-	-	-	-
3	A.D.S. J. Court No. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	A.D.S. J. Court No. 4	-	03	-	-	-	-	-	-	-
5	A.D.S. J. Court No. 8	-	04	-	-	-	-	-	-	-
6	A.D.S. J. Court No. 9	-	04	-	-	-	-	-	-	-
7	A.D.S. J. Court No. 5	-	04	-	02	02	-	-	-	-
8	A.D.S. J. Court No. 43	-	02	-	-	-	-	-	-	-
9	Chief Judicial Magistrate	-	12	-	-	-	-	-	-	-
10	Civil Judge (S.D.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	A.C.J.M-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Civil Judge (J.D.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total (HQ)	-	39	-	03	03	-	-	-	-
13	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	02	11	02	06	-	-	-	-	-
14	Addl. Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	02	02	-	02	-	-	-	-	-
	Sub Total (Outlying Court-Tilhar)	04	13	02	08	-	-	-	-	-
15	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	11	30	05	18	-	-	41	-	41
16	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total (Outlying Court)	15	43	07	26	-	-	41	-	41
	Grand Total	15	82	07	29	03	-	41	-	41

Hony
09/09/2020